वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74) की धारा 13 की उप-धारा (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 17 का संशोधन.-** केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 के नियम 17 के उप-नियम (14) के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> "परन्तु अधिकारिता रखने वाला उपायुक्त (प्रशासन) किसी विशिष्ट मामले में, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, ऐसे घोषणा प्ररुप के जनन किये जाने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि तक या 31.03.2017 तक, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए व्यवहारी को अनुज्ञात कर सकेगा।"

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-94]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Central Sales Tax (Rajasthan) Rules, 1957, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Sales Tax (Rajasthan) (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 17.-The existing proviso to sub-rule (14) of rule 17 of the Central Sales Tax (Rajasthan) Rules, 1957 shall be substituted by the following, namely:-

"Provided that Deputy Commissioner (Administration) having jurisdiction, for the reasons to be recorded in writing, in any particular case, may allow the dealer for submission of such application upto a period of two years from the date of generation of such declaration form or upto 31.03.2017, whichever is later."

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-94]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government